राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 885/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
प्रकाश राज गेहलोत मु0 रसियावास खुर्द, पो0 पलासिया कलाँ, तहसील आहोर, जालोर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य सचिव कार्यालय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 20-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री पुंकेश शर्मा, शासन उप सचिव, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 21-4-17 मुख्य सचिव राजस्थान को प्रस्तुत कर प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी के माध्यम से लगाये गये समस्त कर्मचारियों जिन्होंने 100 दिवस की राजकीय सेवा पूर्ण की है को पुनः राजकीय सेवा में लिए जाने के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि क्या सरकार इन सुझावों पर कोई कार्यवाही करेगी, तथा इस सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 2-6-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 21-4-17 उनके विभाग में दिनांक 4-5-17 को प्राप्त हुआ था। विभाग द्वारा पत्र दिनांक 9-5-17 से अपीलार्थी को संसूचित कर दिया था कि चाही गई सूचना विभिन्न विभागों से सम्बन्धित है, अतः ऐसी सूचना जो कि अलग अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो को एकत्रित किया जाना सूचना का सृजन माना जाता है। अतः अपीलार्थी का आवेदन निस्तारित कर दिया गया। तदुनसार प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी निर्णय दिनांक 2-6-17 से अपील खारिज कर दी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 7-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखादि से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का आवेदन दिनांक 21-4-17 से विभिन्न सुझाव प्रस्तुत कर प्रतिउत्तर चाहा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना वही दी जा सकती है जो कि अभिलेख पर उपलब्ध है तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी के नियंत्रणाधीन है। राज्य लोक सूचना अधिकारी से ऐसी किसी सूचना की अपेक्षा नहीं की जा सकती जो कि विभिन्न राज्य लोक सूचना अधिकारियों से सम्बन्धित है तथा जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एफ) एवं 2(जे) के तहत न तो सूचना की परिभाषा में आती है एवं न ही सूचना के अधिकार की परिभाषा में आती है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय निर्णय विधिसंगत होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त